(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5750/2018/खरगौन/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 284/अपील/2017-18.

शेख जुबेर पुत्र श्री शेख बच्चू
निवासी सनावद तहसील सनावद,
जिला खरगौन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

केकडिया पुत्र श्री कांजी भीलाला,
निवासी ग्राम जूनापानी, तहसील सनावद,
जिला खरगौन, म.प्र. .....अनावेदक

श्री एम.पी. भटनागर, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल मंगल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 29.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, सनावद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम जुनापानी की भूमि सर्वे क्रमांक 15 रकबा 0.045 हैक्टेयर आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व पर राजस्व अभिलेख मे अंकित होकर उक्त भूमि वर्ष 1994 में मोहम्मद सलीम पिता हस्सु निवासी सनावद से क्रय की गई थी। उक्त भूमि का सीमांकन करवाये जाने पर ज्ञात हुआ कि आवेदक की प्रश्नाधीन भूमि 0.045 हैक्टेयर पैकि रकबा 0.006 हैक्टेयर पर अनावेदक द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर मकान व बाडी बनाकर कब्जा कर लिया है। अत: प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक से दिलवाये जाने की मांग की गई। इस आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार

द्वारा प्रकरण क्र. 02/अ-70/2013-14 दर्ज कर दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित करते हुए पश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदक से आवेदक को दिलाने के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बड़वाह के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.06.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुए प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

1. आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र, सीमांकन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया, सीमांकन करवाये जाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि अनावेदक द्वारा रकबा 0.045 हैक्टेयर पैकि 0.006 हैक्टेयर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर, मकान व बाड़ी बनाकर कब्जा कर लिया गया है, जबकि अनावेदक द्वारा आश्वासन दिया गया कि उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लेगा, किंतु अनावेदक ने कब्जा नहीं हटाया, तब मजबूर होकर न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनावेदक द्वारा आवेदक की भूमि पर किये अवैध कब्जे को हटाकर आवेदक को दिलाये जाने का निवेदन किया गया, जिसमें प्रकरण दर्ज कर अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। तब अनावेदक ने अपने जवाब में खण्डन करते हुए बताया कि जिस भूमि पर कब्जे की बात कर रहा है, उस भूमि पर अनावेदक का कच्चा मकान बना हुआ है, जो बाद में पक्का कराया गया है और साथ ही अपने जवाब में यह भी बताया कि उक्त भूमि कब्जा नहीं है तथा न्यायालय को प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है। आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने का आवेदन किया गया, जबिक वास्तविकता यह है कि अनावेदक को जब प्रकरण होने की जानकारी प्राप्त हुई, तब उसने अपने कच्चे मकान को पक्का किया, जिसके कारण अनावेदक के दिमाग में बद्नियती आ जाने के कारण जानबूझकर आवेदक की भूमि से कब्जा वापिस नहीं दे रहा है, जो न्यायोचित नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

2. विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक स्वयं एवं साक्षी शेख इकबाल, शेख मन्नू, बालकराम एवं खालिद के आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी के तहत शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये एवं राजस्व निरीक्षक व पटवारी को न्यायालय के माध्यम से साक्ष हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जो स्वीकार किया

गया, दिनांक 16.01.2014 को आवेदक का मुख्य परीक्षण प्रारंभ कर समस्त दस्तावेज प्रदर्शित किये गये, दिनांक 23.01.2014 को साक्षी शेख इकबाल एवं शेख मन्नू का प्रतिपरीक्षण किया गया, दिनांक 20.02.2014 को साक्षी आलीद व बालकराम का प्रतिपरीक्षण किया गया एवं दिनांक 14.07.2014 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक श्री बैजनाथ सोहनी का न्यायालय में मुख्य प्रतिपरीक्षण किया गया। आवेदक की साक्ष्य समाप्त, घोषित करने के उपरांत अनावेदक की ओर से अपने स्वयं का साक्षी गलसिंह एवं साक्षी शोभाराम का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया तथा अन्य साक्ष्य न देना व्यक्ति किया। इन समस्त आवेदक की साक्षियों पर विचार न करते हुए अवैध रूप से अतिक्रमण करके मकान व बाडा बनाया है। इस बात को आवेदक ने स्वयं एवं अपने साक्षियों व तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने अपने साक्ष्य में प्रमाणित किया है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने ज्ञान में न लेते हुए किया गया आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

3. राजस्व निरीक्षक के सीमांकन पंचनामें में यह उल्लेखित किया गया है कि सर्वे क्रमांक 15 ग्राम आबादी से लगा होकर, चांदा पत्थर नहीं होने से सर्वे क्र. 87 व 7 की दक्षिणी मेढ से पश्चिमी चलकर सीमांकन प्रारंभ कर, नापकर बताई गई है एवं सीमा चिन्ह कायम किये गये। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि का सीमांकन स्थाई सीमाचिन्हों एवं चौड़ा पत्थर से किया गया है, जबकि किसी भूखण्ड का सीमांकन स्थापित स्थाई सीमा चिन्हों, चांदा पत्थर, मुनारे के सीमांकन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मकान तोड़ने का आदेश किया है, जबकि धारा 250 में कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त किया जा सकता है। निर्मित मकान की भूमि पर स्वत्व का प्रश्न उपस्थित होने के कारण इसका निराकरण व्यवहार न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि अनावेदक द्वारा कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया गया, जब विचारण न्यायालय द्वारा अनावेदक को सूचना पत्र गया, तब उसने जल्दबाजी में उस पर मकान बनाया, यह साक्ष्य से प्रमाणित होता है, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विचार में न लेते हुए किया गया आदेश तत्काल निरस्ती योग्य है।

4. आवेदक द्वारा सीमांकन का आवेदन अंदर म्याद प्रस्तुत किया गया, जिसको जानबूझकर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मान्य न करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया आदेश त्रुटिपूर्ण है, जबकि यह स्पष्ट है कि अनावेदक अतिक्रमण घोषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बात वाद-बिंदु पर विचार न करते हुए किया गया आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रनाधीन भूमि आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की होकर, राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम दर्ज है । आवेदक द्वारा अपने स्वमित्व की भूमि का सीमांकन कराये जाने पर आवेदक के स्वत्व की पैकि रकबा 0.06 एकड़ पर अनावेदक का अवैध कब्जा साक्ष्य द्वारा प्रमाणित हुआ है । उक्त सीमांकन आदेश किसी भी न्यायालय से निरस्त नहीं हुआ है । उपरोक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व की भूमि से अनावेदक को बेदखल करने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष के आधार पर निरस्त किया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा भी भूल की गई है । न्याय दृष्टांत 1984 आर.एन. 6 मथुराबाई तथा अन्य विरूद्ध कन्हई तथा अन्य में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि मकान बना होने पर भी संहिता की धारा 250 आबद्धकर होती है । उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी, बडवाहा जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-11-2017 निरस्त किए जाते हैं । तहसीलदार, सनावद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-8-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर